दिनांक : 2.2.2018

पत्रावली पेश हुई। हमने वकील प्रार्थीगण तथा वकील अभिभाषी सं.0) व पैरोकार सरकार को इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 R.T.Act पर अंतिम बहस सुनकर उक्त पर मनन किया। विपक्ष प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय इस्तगासे प्रतिपक्ष का भी गहनतापूर्वक अध्ययन करने उपरान्त भी मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थीगण बाद शुदा कृषि भूमि का रिकार्ड खातेदार केवल के इस कारण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध होना प्रार्थीगण के पक्ष में जाना जाहिर होता है तथा बाद शुदा कृषि भूमि पर मौके पर काबिज कास्त होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में जाना जाहिर होता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना 212 R.T.Act का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण में इसे न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 12.12.2017 को अनन्तिम मूल रूप से निर्णय बढ़ किया जाता है। अभिभाषक निर्णय को पैरोकार द्वारा डिक्टेशन देने के बाद निर्णय की कम्प्यूटराईज प्रति होना दर्शाया देखने के बाद हस्ताक्षर किया। निर्णय पर डीजल्स्प्रिंट शुदा या जाकर हस्ताक्षर किया गया। पत्रावली पैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो।

2/2/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)